सैन्ट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कम्पनी लिमिटेड
(भारत सरकार का उद्यम)
आईएसओ 9001:2008 प्रमाणित कम्पनी
CENTRAL RAILSIDE WAREHOUSE COMPANY LIMITED
(A Govt. of India Enterprise)
An ISO 9001:2008 Certified Company
सीआईएन : यू63023डीएल2007पीएलसी165676
CIN:U63023DL2007PLC165676

मिनी रत्न
Mini Ratna PSU

सं. सीआरडब्लूसी–I/द्विभाषी विज्ञापन/2018–19/ 4061   दिनांक: 18.03.2019
25/03/2019

परिपत्र

विषय: समाचार पत्रों में विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने के संबंध में राष्ट्रपति जी के आदेश।

उपर्युक्त विषय पर खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के दिनांक 11 मार्च, 2019 के पत्र सं0 ई–11015/2/2017 हिन्दी द्वारा संसदीय राजभाषा समिति की संस्तुति पर राष्ट्रपति जी के आदेश सूचना एवं समुचित अनुपालन के लिए संलग्न हैं।

संलग्नकः उपर्युक्त

रितेश
25/03/2019
(रितेश)
प्रबंधक (मानव संसाधन)

वितरणः

1. उप महाप्रबंधक (एलओएम)/उप महाप्रबंधक (वित्त एंव लेखा)/उप महाप्रबंधक (अभियांत्रिकी), सीआरडब्लूसी, निगमित कार्यालय नई दिल्ली।
2. प्रबंधक (आईटी) कृपया सीआरडब्लूसी की साइट पर अपलोड करें।
3. समन्वयक जनसम्पर्क, सीआरडब्लूसी, निगमित कार्यालय नई दिल्ली।

प्रतिलिपिः

1. प्रबंध निदेशक की निजी सचिव, सीआरडब्लूसी, निगमित कार्यालय नई दिल्ली।

फा. सं. ई -11015/2/2017-हिन्दी

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक: 11 मार्च, 2019

सेवा में,

विभाग के सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम

विषय: विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की दिनांक 28.12.2018 को आयोजित बैठक में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई - समाचार पत्रों में विज्ञापन द्विभाषी रूप में जारी करने के संबंध राजभाषा विभाग के आदेश।

महोदय,

आपको विदित है विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक संयुक्त सचिव (इंपेक्स एवं राजभाषा) की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2018 को आयोजित की गई थी। उक्त बैठक में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के नियंत्रणाधीन कार्यालयों को विज्ञापन द्विभाषी रूप में (हिन्दी एवं अंग्रेजी) जारी करने का निर्देश दिया गया था। बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार राजभाषा विभाग का **कार्यालय ज्ञापन सं. 20012/01/2017-रा. भा. (नीति) दिनांक 30 जून 2017** की प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न है।

भवदीय,

(धीरेंद्र कुमार)

उप सचिव (इंपेक्स एवं राजभाषा)

दूरभाष: 23382437

संलग्नक : यथोपरि

वरि. परामर्शदाता (रा.भा)

9341/M.HR
14.03.2019

189
14/3/19

20012/01/2017-रा.भा.(नीति)

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राजभाषा विभाग

चौथा तल, एन.डी.सी.सी-2 भवन

जय सिंह रोड, नई दिल्ली - 01

दिनांक : 3[illegible] जून 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : मंत्रालयों/विभागों द्वारा दिये जाने वाले हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में।

कृपया राजभाषा विभाग के संकल्प सं० 20012/01/2017-रा.भा.(नीति) दिनांक 31.03.2017 का अवलोकन करें, जो संसदीय राजभाषा समिति की सिफ़ारिश के खंड 9 में की गई 117 संस्तुतियों पर पारित राष्ट्रपति जी के आदेश के संबंध में है।

2. संस्तुति सं0 88 मंत्रालयों/विभागों द्वारा विज्ञापनों पर किए जाने वाले व्यय के संबंध में है जिस पर राष्ट्रपति जी के आदेश इस प्रकार हैं -

सं	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालयों/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50 प्रतिशत व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्टूबर, 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड - 8 की सिफ़ारिश सं० 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड - 9 की सिफ़ारिश सं० 48 एवं 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है की मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी / क्षेत्रीय भाषाओं में दिये जाते हैं, उन्हें हिंदी भाषा में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा।

3. अतः केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों / विभागों / कार्यालयों / उपक्रमों से अपेक्षित है की विज्ञापन संबंधी उपर्युक्त आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किया जाए।

(संदीप आर्य)

निदेशक (कार्यान्वयन)

सेवा में,

निदेशक (प्रशासन), सभी केंद्र सरकार के मंत्रालय/विभाग

[illegible]